सं0-2/5958/62-2-2013-2/3(110)/2009

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 दिसम्बर,2013

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में सामान्य योजना के अधीन सामुदायिक ब्लास्ट वेल का निर्माण (नाबार्ड पोषित) योजना के अन्तर्गत बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में (राज्य योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1552/ल0सिं0/बजट'आर0आई0डी0एफ0/2011-12, दिनांक 07-11-2013 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28-3-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयोजनागत पक्ष में सामान्य योजना के अधीन सामुदायिक ब्लास्ट वेल का निर्माण (नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0-8900.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि रू0-4450.00 लाख (रूपये चौवालिस करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1209/62-2-2013-2/3(110)/2009, दिनांक 30-4-2013 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-4450.00 लाख के सापेक्ष धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0-2225.00 लाख (रूपये बाइस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की योजना सामुदायिक ब्लास्ट वेल का निर्माण (नाबार्ड पोषित) पर व्यय हेतु है।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीक़ति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

(3) प्रथम वरियता पर बुन्देखलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत ब्लास्ट कूपों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीक़त की जा रही धनराशि का व्यय अन्य किसी मद/योजना में कदापि न किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/उपभोग प्रशनगत योजना संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के बाद ही किया जायेगा तथा सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(5) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय ।

(6) आपको पुन स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिक्रृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(7) यह कि आहरण एवं वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटित धनराशि से अधिक का परिव्यय सम्बन्धित योजना में उनके जनपद हेतु स्वीकृत किया गया है। अन्यथा स्वीकृत परिव्यय अथवा अवमुक्त धनराशि जो भी कम हो, की सीमा तक ही व्यय किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आंवटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या - बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय के निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निशिचत रूप से उपलब्ध कराये जायें।

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण	15-10-2013 तक
3-	व्यायाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण्	15-12-2013 तक
4-	वर्ष 2013-14 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2014 तक
5-	आवंटन का समर्पण	15-03-2014 तक

नोट- दिनांक 15-03-2014 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

(11) तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800'अन्य व्यय-03 सामुदायिक

http://shasanadesh.up.nic.in

ब्लास्ट वेल का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अ0शा0 संख्या-यू0ओ0-ई-2-1097/एक्स-13, दिनांक 09-12-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

सं0-5958(1)/62-2-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन।
6- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in